न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

श्री रजनीश मिश्रा एड. द्वारा पेश 4.9.15

नि.प्र.क्र...............

R. 3447-II/15

382 / 4.9.15

लोकनाथ तनय स्व. केशव प्रसाद पाण्डेय, उम्र 86 वर्ष, जरिए मुख्त्यार शंकरदत्त तनय लोकनाथ पाण्डेय, निवासी ग्राम चोरहटा, पोस्ट चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र...निगराकार

बनाम

01. शंभू प्रसाद पाण्डेय तनय स्व. शोभनाथ पाण्डेय, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम चोरहटा, पोस्ट चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र.

02. म.प्र. राज्य जरिए राजस्व निरीक्षक, वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र...गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध राजस्व निरीक्षक चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान द्वारा रा.प्र.क्र.14ए/12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2015

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि निगराकार को राजस्व निरीक्षक, वृत्त–चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान द्वारा किए गए सीमांकन आदेश दिनांक 25.06.2015 के नाप की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए नाप में भी निगराकार उपस्थित नहीं था, इस तरह निगराकार के पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है।

02. यह कि निगराकार को आवेदन पत्र के पद क्र.1 में वर्णित आदेश की जानकारी दिनांक 09.08.2015 को तब हुई, जब गैरनिगराकार मेड़ खोदने लगा और कहने लगा कि नाप के आधार पर यह भाग मुझे मिल गया है, तब निगराकार ने दिनांक 10.08.2015 को सीमांकन आदेश का पता लगाया और उसी दिन सीमांकन आदेश की नकल प्राप्त करने

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–3547/दो/15 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश लोकनाथ पाण्डेय/शम्भू प्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
		1
21–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक चोरहटा तहसील रामपुर बघेलान के प्र.क. 14 ए/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक–25.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया, कि अनावेदक शम्भू प्रसाद द्वारा सर्वे कमांक–303/2 एवं 434/3 के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि रा.नि. की आदेश पत्रिका दिनांक– 25.6.15 के पृ0 कमांक– 4 पर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि आ0नं0 434/3 का सीमांकन बन्दोवस्ती खसरा न .428 की मेड़ एवं बन्दोबस्ती नाला के ख0 नं0 578 को आधार मान कर किया गया है । इसी प्रकार ख0नं. 303/2 का सीमांकन बन्दोबस्ती नाला के खं0नं0 980 एवं बन्दोबस्ती मेड़ ख0नं0 262 को आधार मान कर किया गया है । यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, मुख्य रूप से यही आपत्ति सीमांकन कार्यवाही में रही है । उनके द्वारा यह भी बताया गया, कि जिस सीमा चिन्ह को सीमांकन हेतु आधार माना गया है, उस नाले की लम्बाई एवं चौड़ाई समय–समय पर घटती बढती रहती है तथा इसी प्रकार खेत की मेड़ भी कम ज्यादा होती रहती है, ऐसी स्थिति में इन्हें सीमांकन का आधार माना जाना किसी भी स्थिति में वैधानिक नहीं है, तथा इन सीमाचिन्हों को आधार मान कर किया गया सीमांकन सही नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उक्त सीमांकन कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत उक्त तर्को के समर्थन में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सतना के आदेश दिनांक–30.4.97 का हवाला भी लिया गया है, जो इन्ही सीमांकन में विवादित भूमियों के संबंध में हैं, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा बादी के पक्ष में खारिज किया गया है । उक्त प्रस्तुत तर्को के अनुकम में अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक के सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक–25.06.2015 का अवलोकन किया गया जिसमें भी सर्वे कमांक–434/3 के सीमांकन हेतु खसरा कमांक–428 की बन्दोबस्ती मेड़ एवं	

लोकनाथ / श्यामू कान्धी

R 3447 / II / 15   लहना

बन्दोबस्ती नाला के सर्वे कमांक–578 को आधार माना गया है, तथा इसी प्रकार 303/2 के सीमांकन हेतु बन्दोबस्ती मेड़ खसरा नं0 262 तथा नाला खसरा नं0 980 को मानक आधार मान कर सीमांकन की कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है । जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि खेत की मेड़ को तथा नाले को सीमांकन का मानक आधार मान कर सीमांकन सही नहीं किया जा सकता क्योंकि खेत की मेड को किसान कभी जोत कर उसकी मोटाई को घटा सकता है तथा कभी उस पर मिट्टी डाल कर उसकी मोटाई को बढ़ा भी देता है इस प्रकार यह तो घटती बढती रहती है, इसी प्रकार नाले की चौड़ाई भी समय समय पर घटती बढ़ती रहती है । ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार आधार मान कर किया गया सीमांकन किसी भी स्थिति में उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक–25.6.2015 को निरस्त किया जाता है, तथा राजस्व निरीक्षक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि वे स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह जैसे बन्दोबस्ती पुराना कुआ, पुराना ग्राम सीमा का मुनारा, सड़क आदि को सीमांकन का आधार मान कर सीमांकन की कार्यवाही समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कास्तकारों को विधिवत सूचना देकर पुनः तीन माह में पूर्ण करें प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक को भी पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं भी सीमांकन की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपने समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर सीमांकन की कार्यवाही में सहयोग करें

उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा. रिकार्ड हो ।

सदस्य